फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रतनलाल बनाम हीरालाल (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र 212 नं0 05 सन 2020

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 14-2-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
…1.2.20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व विपक्षी सं. 4, 6, 7, 8 उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4 व 6, 7 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी सं. 1, 2, 3 अनुपस्थित, वास्ते पत्रावली विपक्षी सं. 1, 2, 3 के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही एवं विपक्षी सं. 5 के सम्मन तामिल बेइन्तजार हेतु नियत दिनांक 17.2.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	प्यारेलाल रूपलाल मुकाम रतन
…20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20.2.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
…2.20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 07 अनुपस्थित, प्रतिवादीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस के दौरान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। (हस्ताक्षर) उपखण्ड … माण्डल …	

ग्राम बागोर II पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल के आराजी नं. 5267, 5268, 5269, 5270 कुल किता 04 कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी व विपक्षी सं. 01 लगायत 07 के नाम दर्ज रेकर्ड है जो सभी के संयुक्त स्वामित्व की होने से अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है. परन्तु विपक्षी सं. 1 लगायत 07 बिना विभाजन कराये ही विक्रय, रहन बय बख्शीश करने पर आमादा है, अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे बेदखल नहीं करे और किसी प्रकार का विक्रय, रहन बय बख्शीश न करे, जब तक कृषि भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

मैने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि प्रार्थी को उनके हक व हिस्से से बेदखल किया जाता है तो उन्हे अपूरणीय क्षति होगी।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोर II पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 5267, 5268 5269 5270 कुल किता 04 कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि का जब तक विभाजन नही हो जाता तब तक विपक्षी सं. 01 लगायत 07 उक्त आराजी या इसके किसी भी भू-भाग को अन्य व्यक्तियो को विक्रय, रहन बया बख्शीश द्वारा अंतरित व भारित नही करे तथा जबरन प्रार्थी को उसकी कब्जे शुदा आराजियात से बेदखल नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे, उपयोग-उपभोग मे बाधा उत्पन्न न करे तथा विपक्षी सं. 1 लगायत 03 उक्त वादग्रस्त आराजियात मे कोयले की भट्टियो का निर्माण नही करने व मौके की यथास्थिति रखने हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद पत्र के निस्तारण तक जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न की जावे।

Raj
सहायक कलक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 16:27:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: